हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 18/अप्रैल/2018

दुर्गालाल v. रामीबाई

	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/5/24	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया गया। वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 16 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा ग्राम रानीपुरा में स्थिति है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में हजारा वल्द राधू हिस्सा 1/8 दर्ज है। हजारा की मृत्यु दिनांक 01.06.1999 को हो गई है। हजारा के पॉच पुत्र पुत्रियॉं है। जिनमें से पुत्री मोहनी बाई की मृत्यु हो गई है। दिनांक 20.02.2015 को ग्राम पंचायत रानीपुरा द्वारा स्व0 हजारा वल्द राधू व मोहनी पुत्री हजारा का फोती नामान्तकरण अपीलांट के साथ रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 10 के नाम दर्ज कर दिया है उक्त नामान्तकरण कानूनी तथ्यों व विधि विधान के विपरित होने से निरस्त योग्य है। पक्षकारान पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। स्व0 हजारा की पुत्रियों का उनकी भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। अपील स्वीकार किया जाकर विवादित नामान्तकरण निरस्त किया जावे। अपीलांट के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 10 ने कथन किया कि प्रकरण में पुरान हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है जिनमें पुत्रियों को भी अधिकार दिया है। रेस्पोडेन्ट जाति से मीणा है इनमें पुत्रियों को हिस्सा लेने का अधिकार है। अपीलांट द्वारा देरी से अपील प्रस्तुत करने का कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे। हमने प्रस्तुत तर्को पर पुनः मनन कर विवादित नामान्तकरण व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलांट ने इनके पिता हजारा पुत्र राधू की मृत्यु पर उनकी खातेदारी भूमि पर पुत्रियों के नाम खोले गये नामान्तकरण के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की है व अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जनजाति होने के कारण पुत्रियों का कोई हक नहीं बताया गया है। अपीलांट ने रेस्पोडेन्टस् को हजारा के वारिस होने से इन्कार भी नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किए है जिससे कि यह स्पष्ट हो कि भूमि में रेस्पोडेन्टस् को कोई हक नहीं बनता हो। साथ ही अपीलांट उक्त अपील लगभग 1 वर्ष देरी से प्रस्तुत की है, विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई संतोषप्रद जबाव/तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किए है। न्यायालय मृतक हजारा आ0 राधू के वारिसान के पक्ष में खोले गए नामान्तकरण में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। नामान्तकरण संख्या 1741 दिनांक 20.02.2015 ग्राम रानीपुरा यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	